मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक 1038 /4-नि0-2/72 भोपाल, दिनांक 5 जून, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि में से रकम निकालने की मंजूरी के सम्बंध में कार्यविधि ।

==0==

प्रवर्तमान कार्य विधि के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के नियम 16-ए के अधीन सामान्य निधि में से निकाली जाने वाली रकमें मंजूर करने वाले अधिकारी की औपचारिक मंजूरी जारी कर दिये जाने के बाद संबंधित लेखाधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त होने पर ही निकाली जा सकती है । इस कार्यविधि की कुछ समय से शासन द्वारा समीक्षा की जा रही थी । शासन द्वारा इस विधि की समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि रकम निकालने के संबंध में लेखा-अधिकारी का अपेक्षित अधिकार पत्र आवश्यक नहीं समझा जाना चाहिये । उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत नोट 2 को रनसुख समझा जाय । जब कभी भी रकम निकालने के लिये इच्छुक कोई आवेदन कर्ता, भविष्य निधि लेखे के नवीनतम उपलब्ध विवरण पत्र के आधार पर तथा उसके बाद किये गये अंशदानों का प्रमाण लेकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा अपनी रकम के बारे में सक्षम अधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो, तो सक्षम अधिकारी निधारित सीमाओं के अन्तर्गत स्वयं ही रकम निकालने की मंजूरी प्रदान कर सकता है, जैसा कि वापस किये जाने योग्य पेशगी के मामले में किया जाता है । ऐसा करते समय, सक्षम अधिकारी संबंधित अंशदाता को पहले ही निकालने के लिए मंजूर की गई रकमों अथवा वापस किये जाने योग्य पेशगी की रकमों को ध्यान में रखेगा । परन्तु जब आवेदन कर्ता अपने खाते में जमा रकम के बारे में सक्षम अधिकारी का समाधान करने की स्थिति में नहीं हो अथवा जब आवेदन कर्ता द्वारा मांगी गई रकम के देय होने के बारे में कोई भी संदेह हो तो आवेदन कर्ता के खाते में रकम (जमा) का ठीकठीक पता लगाने के लिये संबंधित लेखा अधिकारी को लिखा जा सकता है । ताकि सक्षम अधिकारी निकाली जाने वाली रकम के देय होने के बारे में निश्चय कर सकें रकम निकालने की स्वीकृति पत्र में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या तथा लेखे रखने

रखने वाले लेखा अधिकारी का उल्लेख स्पष्टतः किया जाना चाहिये तथा उसे पृष्ठांकित करके निश्चित रूप से उसी लेखा अधिकारी को भेजा जाना चाहिए । स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि लेखा अधिकारी से इसकी पावती प्राप्त हो गई है और रकम निकालने की मंजूरी को अंशदाता के लेखा खाते में नोट कर दिया गया है । यदि लेखा अधिकारी इस आशय की रिपोर्ट दे कि मंजूर की गई रकम अंशदाता के खाते में जमा रकम से अधिक है अथवा अन्यथा देय नहीं है तो उस स्थिति में यह आवश्यक होगा कि अंशदाता निकाली गई पूरी रकम वापस करें ।

2 म0प्र0, सामान्यभविष्य निधि नियमावली 1955 के वर्तमान उपबंधों में संशोधन करने के प्रश्न को अलग से उठाया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

देवीप्रसाद

(देवी प्रसाद)

उप सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 1059 /4-नि0-2/72, भोपाल, दिनांक 5 जून, 1972

प्रतिलिपिः-

सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर,
नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश, भोपाल,
राज्य सतर्कता आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
पंजीयक/स्थापना/अधिकारी/लेखा अधिकारी, म0प्र0 सचिवालय, भोपाल,
समस्त, वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/कोषालय अधिकारी, म0प्र0 की

ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित ।

2 महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3 सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित ।

4 निबंधक उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(सु0ना0 दुबे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
===

क्रमांक 1392/4 नि.2 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश,

विषयः- सामान्य भविष्य निधियों में से रकम निकालने की मंजूरी के संबंध में कार्य विधि ।

===

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1058/4 नि.2/72 दिनांक 5 जून, 1972 की कंडिका 2 में मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग । के नियम 529(1) में संशोधन किये जाने के संबंध में उल्लेख न किये जाने के कारण कोषालयाधिकारी अंशदाताओं को सक्षम अधिकारियों द्वारा विकर्षण की स्वीकृति दी जाने के पश्चात भी रकम का भुगतान नहीं करते है ।

अतः वित्त विभाग के उक्त ज्ञापन की कंडिका2 के सिलसिले में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1955 तथा म0प्र0 कोषालय संहिता भाग । के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने के प्रश्न को अलग से उठाया जा रहा है ।

मध्यप्र देश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(हु0 चा0 दुबे)
अवर सचिव

क्रमांक 1393/4 नि.2 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 1972

प्रतिलिपिः-

स राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सतर्कता आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
पंजीयक/स्थापनाअधिकारी/ लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल,
समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल को ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

4. निबंधक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को ओर सूचनार्थ ।

(सु० ना० बुर्रे)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिहार/*